न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भुलन प्रसाद.....वादी

बनाम

धूप यादव.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
18.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 12.08.2024 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 18.12.2025 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि मुदालह इस वाद में दिनांक 02.03.2024 को हाजिर हुए परन्तु कुछ कागजात के अभाव में ससमय ब्यान तहरीरी तैयार नहीं करा सकें एवं उसी समय वादी के षडयंत्र के कारण कारागार चले गये जिसके कारण ब्यानतहरीरी दाखिल करने में विलंब हुआ है। प्रतिवादी जान–बुझकर ब्यानतहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया है बल्कि परिस्थतिवश विलंब हुआ है, जिसे विलंब को शान्त कर प्रतिवादी के ब्यानतहरीरी को ग्रहण करना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए प्रतिवादी का ब्यानतहरीरी को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। वादी द्वारा प्रतिवादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.08.2024 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए प्रतिवादी का ब्यानतहरीरी को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए,	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भुलन प्रसाद.....वादी

बनाम

धूप यादव.....प्रतिवादी

लगातार 18.12.2025	जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 12.08.2024 को मो0–500/– रू0 के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 10.02.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	